

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक:12.09.08 एवं आदेश संख्या एफ. 11(7)/वित्त (नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक: 06.08.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता को राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 एवं 15 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) वेतन बैंड (9300-34800)/(15600-39100)/पे मैट्रिक्स लेवल एवं कॉलम संख्या 08 के अनुसार ग्रेड वेतन एवं लेवल संख्या, कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/बाउमावि)	विषय	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	एसीपी स्वीकृति से संबंधित सेवावधि का विवरण	PAY MATRIX LEVER NO/ GRADE PAY	एसीपी स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	वीरपाल सिंह चौहान, भगवतगढ़ (सवाई माधोपुर)	भौतिक	01.06.56	15.09.80	डीपीसी	30 वर्ष	5400	15.09.10
2	नरेन्द्र कुमार अग्रवाल, शाहपुरा (जयपुर)	भौतिक	27.04.74	24.12.98	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	24.12.18
3	देवी सहाय रंगर, रामकरण जोशी (दौसा)	गणित	02.03.75	12.12.98	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	12.12.18
4	देवन्द्र सिंह, गढीझील पट्टी (भरतपुर)	भौतिक	27.10.64	29.08.87	पीएससी	20 वर्ष	5400	25.01.13
5	रामसागर मीणा, देवली (टोंक)	भौतिक	07.07.74	10.12.98	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	10.12.18
6	सत्यवीर यादव, दहमी (अलवर)	भौतिक	30.04.71	21.11.97	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	21.11.17
7	जितेन्द्र कुमार मेनारिया, खरका (सलूमबर) उदयपुर	गणित	13.04.67	13.02.93	पीएससी	20 वर्ष	5400	13.02.13
8	शम्भू लाल जाट, चित्तौड़गढ़	भौतिक	03.07.74	11.12.98	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	11.12.18
9	सोहनलाल प्रजापति, इन्द्रगढ़ (बून्दी)	भौतिक	25.10.67	11.12.98	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	11.12.18
10	देवकरण सिंह, बागला, चूरु	भौतिक	07.09.75	18.12.98	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	18.12.18

उक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें।



(नथमल डिहिल)


आई.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 12/09/19

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-3/भौगक/भौतिक/गणित/एसीपी/2019/

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।
- 02- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मुख्यालय।
- 03- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) जिला मुख्यालय।
- 04- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक मुख्यालय।
- 05- सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 06- संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक।
- 07- निजी एवं रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)